पत्रांक– SUDA/AMRUT 2.0/Jal Hi Amrit-Financial/25/2025/UDHD/------33------

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

सेवा में,

उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश
केन्द्रांश–अमृत 2.0 Jal Hi Amrit, Incentive
वित्तीय वर्ष 2026–27

दिनांक–10/07/26

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित अमृत 2.0 के तहत् Jal Hi Amrit-Initiative अंतर्गत Incentive मद में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद के बजट मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–AD, अमृत 2.0 अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, सब स्कीम हेड–01–अमृत परियोजना, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780191AD010679 अंतर्गत राशि 60,00,000/– (साठ लाख) रूपये मात्र का निधि आवंटन।**

आदेशः– नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–37 दिनांक–03.07.2026 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उल्लिखित कार्य के सामने कॉलम संख्या–V में अंकित राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण को आवंटित की जाती है:– **(राशि रू० में)**

क्र०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अबतक आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2026–27 में वर्त्तमान में आवंटन	कुल विमुक्त राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
I	Jal Hi Amrit-Initiative	60,00,000.00	0	60,00,000.00	60,00,000.00

कुल 60,00,000/–रू० (साठ लाख रूपये) मात्र।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में अमृत 2.0 अंतर्गत केन्द्रांश मद के OSP प्रक्षेत्र से निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगी :– *(राशि रु. में)*

State Link Scheme का नाम एवं SLS Code	मद	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	DDO का नाम एवं Code
JH271- JH-AMRUT 2.0 Administrative and Other Expenses (A&OE)	A&OE	मांग सं. 48, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), केन्द्र प्रायोजित स्कीम, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–AD, अमृत 2.0 अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, सब स्कीम हेड–01–अमृत परियोजना, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780191AD010679 Central Scheme – Urban Rejuvenation Mission – 500 Cities (9556)	60,00,000.00	Atul Kumar, PRJUDV068

3. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 1 (27) PFMS/2020 दिनांक 21.05.2024 द्वारा केन्द्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन को SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3532/वि० दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिर्जव बैंक के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme, CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने हेतु SNA SPARSH के रूप में समायोजित प्रणाली स्वीकृत शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है।

(309)

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड होंगे (DDO Code – PRJUDV068), जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के D.O. No. K-16011/8/2024/AMRUT दिनांक 23.12.2024 के आलोक में जुडको लि० के स्तर पर escrow account, Bank of Baroda, बिरसा चौक शाखा में खोला गया है। Incentive राशि SNA SPARSH के माध्यम से उक्त बैंक Account में हस्तांतरित किया जायेगा एवं उसका उपयोग WRRC से स्वीकृत योजनाओं में किया जायेगा।

6. अमृत 2.0 के तहत् Jal Hi Amrit अंतर्गत Incentive राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में राज्य को आवंटित की गई है, इसलिए राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

7. इस मद में राज्य शहरी विकास अभिकरण को विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में राशि आवंटित नहीं की गई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र शून्य है।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. राज्य शहरी विकास अभिकरण, राँची द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन/भुगतान की Duplicacy न हो।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT 2.0/Jal Hi Amrit-Financial/25/2025/UDHD/33 राँची, दिनांक– 10/07/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा, राज्य शहरी विकास अभिकरण/परियोजना निदेशक (वित्त), जुडको लि०/श्री उत्कर्ष कुमार, IT विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।